डॉ० आदित्य नारायण पाण्डेय, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना सं0 168/2019 से उद्भूत आश्वासन संख्या 3/192 का अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन।

प्रश्न	आश्वासन	अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन
गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड के डुमरिया पंचायत के वार्ड नं–12 में गाईड बाँध से सटे नहर को अब तक चालू नहीं किया गया है फलतः हजारों किसान नहर के पानी का लाभ पटवन में करने से वंचित हो रहे हैं। सरकार द्वारा सारी व्यवस्था की गई है, सिर्फ नहर की साफ–सफाई करवाकर फाटक खोलना है ताकि चौनल द्वारा किसानों के खेतों तक पानी पहुँच सके। डुमरिया, करसघाट, कुसहर, काशी टेंगराही एवं महम्मदपुर तथा अन्य पंचायतों को इससे लाभ मिल जायेगा। अतः गाईड बाँध से सटे नहर को चालू कर किसानों को लाभ पहुँचाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की माँग करता हूँ।	वर्णित नहर कोई नहर नहीं बल्कि एक ग्रामीण खाड़ (नाला) है जो गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड अन्तर्गत गंडक नदी के दायें तटबंध पर निर्मित सल्लेहपुर–टंडसपुर छरकी के लगभग किलोमीटर 8.00 के पास से निकलकर सारण मुख्य तटबंध के किलोमीटर 105.6 पर स्थित एण्टी फ्लड स्लुईस गेट होकर डुमरिया, करसघाट, कुसहर, काशी टेंगराही एवं महम्मदपुर आदि पंचायत होकर आगे जाती है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पूर्व के वर्षों में सल्लेहपुर–टंडसपुर छरकी से गंडक नदी का पानी बाढ़ के समय इस खाड़ (नाला) से बहता था जिससे नीचे के पंचायतों के खेतों की सिंचाई होती थी। प्रस्तुत मामले में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षणोपरांत तकनीकी रूप से संभाव्य पाये जाने पर इस पर अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है। तकनीकी संभाव्यता की जाँच हेतु विभागीय पत्रांक 2392 दिनांक 17.07.2019 द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, गोपालगंज को निर्देशित किया गया है।	वस्तुस्थिति यह है वर्णित मामले में गोपालगंज जिलान्तर्गत गंडक नदी के कि0मी0 80.00 से कि0मी0 120.00 तक के बीच क्रमशः बरौली प्रखंड के सिकटिया, सिधवलिया प्रखंड के डुमरिया एवं बैकुठपुर प्रखंड के मुजा में उद्वह सिंचाई योजना (Lift Irrigation Scheme) का विस्तृत योजना प्रतिवेदन बनवाने के लिए टर्म ऑफ रिफरेंस तैयार कर लिया गया है। प्रश्नगतस्थल करसघाट, कुसहर, काशी टेंगराही एवं महम्मदपुर आदि पंचायत सिधवलिया के डुमरिया में प्रस्तावित उद्वह सिंचाई योजना से आच्छादित हो सकेगा।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25/वि0प0आ0(सि0)–12–10/2026– **पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 192वें सत्र में उनके ज्ञापांक–320(6) दिनांक–26.07.2019 से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रश्न सं0–168/19 से उदभूत आश्वासन सं0–03/192 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(सि0)–12–10 / 2026–
पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(सि0)–12–10 / 2026–
पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(सि0)–12–10 / 2026– 4632
पटना, दिनांक– 15/10/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14.10.26
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव
14/10/26